भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

अणुशक्ति भवन,
छ. शि. म. मार्ग,
मुंबई - 400 001.

मिसिल सं. 7/54/99/सीएचएसएस/आई.आर एण्ड डब्ल्यु/40 फरवरी 17, 2000

विषय : अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत दिवंगत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा का विस्तार।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस), जिसे शुरू में मुंबई में प्रारंभ किया गया था, का विस्तार समय समय पर विभिन्न अन्य स्थानों पर किया गया है तथा वर्तमान में यह 11 केंद्रों पर प्रचालित की जा रही है। यद्यपि इस योजना के अंतर्गत सेवा निवृत होनेवाले कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिए जाने का प्रावधान है परंतु इसमें विशेष तौर से यह व्यवस्था नहीं है कि इन सुविधाओं का विस्तार उन कर्मचारियों के लिए भी किया जाय जो किसी स्टेशन विशेष पर इस सेवा के प्रारंभ होने से पहले सेवा निवत हो चुके है। इस कारण इस विभाग ने सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सीएचएसएस के अंतर्गत लाने के लिए अलग से आदेश जारी किए थे, तथापि अभी तक इस योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी जो किसी स्थान विशेष पर योजना के प्रारंभ होने के पूर्व दिवंगत हो चुके थे। ऐसे लोगों को योजना के अंतर्गत सुविधा प्रदान करने से संबंधित मामला इस विभाग के विचाराधीन रहा है तथा अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी स्टेशन विशेष पर योजना के शुरू होने के पूर्व दिवंगत हुए व्यक्ति के परिवार के पात्र सदस्यों द्वारा (पूर्व में योजना के सदस्य बनने के मौके का उपयोग किए बिना) सदस्यता हेतु आवेदन किया जाता है तो उन्हें भी आगामी तारीख से योजना के अंतर्गत नामांकित किया जा सकता है। उनके द्वारा भुगतान किए जानेवाले अंशदान की दर वही होगी जो संबंधित स्थान पर योजना के शुरु होने समय लागू थी। तथापि, यह संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी

है कि वे दिवंगत कर्मचारी के परिवार के वास्तविक सदस्य होने के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करें।

वी. आर. विजयन

(वी.आर. विजयन)
उप सचिव

1) निदेशक, भापअकेंद्र
2) निदेशक, कैट
3) निदेशक, वीईसीसी
4) निदेशक, इंगापअकेंद्र
5) मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड
6) स्टेशन डायरेक्टर, आरएपीएस
7) स्टेशन डायरेक्टर, टीएपीएस

प्रतिलिपि :

i) नियंत्रक, भापअकेंद्र
ii) प्रधान लेखा प्रभाग एवं आंतरिक वित्त सलाहकार, भापअकेंद्र
iii) प्रधान मेडिकल डिवीजन, बीएआरसी अस्पताल, भापअकेंद्र
iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कैट
v) मुख्य प्रशासन अधिकारी, कैट
vi) संयुक्त नियंत्रक (एफ ॲण्ड ए), इंगापअकेंद्र
vii) मुख्य प्रशासन अधिकारी, इंगापअकेंद्र
viii) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, इंगापअकेंद्र
ix) आंतरिक वित्त सलाहकार, भापाबो, मुंबई
x) निदेशक (पी एण्ड ए), भापाबो, मुंबई
xi) महाप्रबंधक, भारी पानी संयंत्र, कोटा/तलचर/मनुगुरू/बडौदा/तूतीकोरिन
xii) निदेशक(कार्मिक), एनपीसीआईएल, मुंबई
xiii) स्टेशन डाइरेक्टर, मद्रास परमाणु बिजलीघर